संख्या-232/2026/104/22-2-2024-17(161)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सहसराम मिश्रा पुत्र श्री मातादीन मिश्रा, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-1603/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-04.01.2024, दिनांक 16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सहसराम मिश्रा पुत्र श्री मातादीन मिश्रा, ग्राम-कोइलाडाड, थाना-बुजमनगंज, जनपद-महराजगंज का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 09.10.1999 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मारकर 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-04/2000 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 04 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, प्रथम, महराजगंज के दण्डादेश दिनांक 24.07.2017 द्वारा 09 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 01.06.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष 02 माह 22 दिन तथा 07 वर्ष 10 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की 44 वर्ष की आयु एवं दहेज के लिए की गयी हत्या तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सहसराम मिश्रा (बन्दी संख्या-10/2021) पुत्र श्री मातादीन मिश्रा, निवासी जनपद-महराजगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-232/2026/104(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।